कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, गोड्डा।
eengbcdgodda-jhr@nic.in

पत्रांक– /गोड्डा,दिनांक– ।

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, गोड्डा।

सेवा में,

जिला सूचना एवं जन – सम्पर्क पदाधिकारी,
गोड्डा।

विषय – **अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0:– BCD/EE.Godda/07/Godda/2019-20 प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0 :– **BCD/EE.Godda/07/Godda/2019-20** प्रकाशन हेतु संलग्न कर समर्पित की जाती है।

अतः आग्रह है कि उपरोक्त निविदा बिहार एवं झारखंड के समाचार पत्र में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

इस कम में प्रमाणित किया जाता है कि हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति का मिलान किया गया है।

अनु0– यथोक्त।

Email I.D : - eengbcdgodda-Jhr@nic.in
श्री राज कुमार राजेश, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गोड्डा।
मो0 नं0 :– 8987675852
श्री प्रहलाद मंडल, मैसेंजर।
मो0 नं0 :– 7250138075

विश्वासभाजन,

ह0/–
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, गोड्डा।

ज्ञापांक – 962(अनु०) /गोड्डा, दिनांक – 28.09.2019
प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित।

28/09/2019

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, गोड्डा।

Scanned by CamScanner

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, गोड्डा।
अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0– 07/2019–20

1. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, गोड्डा।
2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि :– दिनांक :– 15.10.2019 को अपराह्न 1.00 बजे तक।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :– दिनांक :– 16.10.2019 को अपराह्न 3.00बजे तक।
4. निविदा खोलने का तिथि एवं समय :– दिनांक :– 16.10.2019 को अपराह्न 3.30 बजे।
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थल :– 1. नगर थाना, गोड्डा।
   2. कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, भवन प्रमंडल, गोड्डा।
   3. अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, भवन अंचल, दुमका।
6. निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान :– क्रमांक 5 में वर्णित स्थान पर।
7. कार्य की विवरणी निम्न प्रकार है।

क0 सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	परिमाण विपत्र का मुल्य	अग्रधन की राशि	कार्य समाप्ति की अवधि
1	Construction of Tahshil Kutchehary-Cum- Halka Karmchari's Residence at DEWDAND, Block- PORAIYAHAT for the year 2019-20.	40,88,800/–	5,000/–	2,04,500/–	छः माह
2	Construction of Tahshil Kutchehary-Cum- Halka Karmchari's Residence at GHAT DHAMSAY, Block- GODDA for the year 2019-20.	40,88,800/–	5,000/–	2,04,500/–	छः माह
3	Construction of Tahshil Kutchehary-Cum- Halka Karmchari's Residence at MAHESHLITTI, Block-PATHARGAMA for the year 2019-20.	40,88,800/–	5,000/–	2,04,500/–	छः माह
4	Construction of Tahshil Kutchehary-Cum- Halka Karmchari's Residence at PARSA, Block- GODDA for the year 2019-20.	40,88,800/–	5,000/–	2,04,500/–	छः माह
5	Construction of One stop Centre at Godda for the year 2019-20.	48,69,000/–	5,000/–	2,43,500/–	छः माह

निविदा की शर्ते– **www.Jharkhand.gov.in** एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

28/09/2019

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, गोड्डा।

Scanned by CamScanner

निविदा की शर्तें

1. भवन निर्माण विभाग की संवेदक निबंधन नियमावली 2015 के अंतर्गत समुचित श्रेणी या इससे एक श्रेणी ऊपर में निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते है।
2. प्राक्कलित राशि घट–बढ़ सकती है। परिमाण विपत्र में अंकित प्राक्कलित राशि, अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र का मुल्य मान्य होंगे।
3. परिमाण विपत्र के कय हेतु आवेदन के साथ निबंधन प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं परिमाण विपत्र के मुल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) के समतुल्य राशि का भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से निर्गत तथा भारतीय स्टेट बैंक की गोड्डा शाखा में भुगतेय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, जिसकी वैद्यता नयूनतम दो माह शेष हो, संलग्न करना होगा।
4. परिमाण विपत्र निबंधित संवेदक या उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति को (प्राधिकार पत्र में अंकित पहचान दस्तावेज की छाया प्रति के साथ मूल प्रति प्रस्तुत करने पर) निर्गत किया जायेगा।
5. निविदा के साथ विभागीय निबंधन प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र एवं जी0एस0टी0 रिटर्न, पैन कार्ड, विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न, उपायुक्त/आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, विद्युत कार्य अनुज्ञा पत्र (यदि कार्य में विद्युत कार्य मद हो) या निविदाकार एवं अनुज्ञा पत्र धारक दोनों द्वारा कार्य विशेष हेतु नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ पत्र, जो निविदा प्रकाशन के बाद का हो, तथा भवन निर्माण विभाग की संवेदक निबंधन नियामावली 2015 की कंडिका– 5.1.7 के अनुरूप नियोजित अभियंता का शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा नियोजन से संबंधित उभय पक्षों का शपथ पत्र की स्वहस्ताक्षरित पठनीय प्रति संलग्न करना होगा।
6. भवन निर्माण विभाग की संवेदक निबंधन नियमावली 2015 के अनुसार श्रेणी–3 के निविदादाता को डम्पर, ट्रक, ट्रैक्टर, डोजर, टैंकर, पम्पस, जेनरेटर, कंक्रीट मिक्सचर, भाइब्रेटर में से किसी तीन का स्वामित्व/लीज डीड का स्वहस्ताक्षरित कागजात संलग्न करना होगा। श्रेणी–4 हेतु यंत्र–संयंत्र कागजात की आवश्यकता नहीं है।
7. अग्रधन की राशि झारखंड राज्य अंतर्गत किसी डाकघर से निर्गत एन0एस0सी0 (अद्यतन निर्गम), तीन/पांच वर्षीय सावधि जमा पासबुक अथवा राज्य स्थित अनुसूचित बैंक की किसी शाखा द्वारा निर्गत फिक्स डिपोजिट रसीद/बैंक गारंटी के रूप में होगी जिसे कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गोड्डा के पदनाम से प्रतिज्ञित (Pledged) कराकर निविदा के साथ संलग्न करना होगा। बैंक गारंटी की सुविधा फर्म/कंपनी/पब्लिक इंटरप्राइजेज को ही होगी। अग्रधन की राशि की वैद्यता निविदा प्राप्ति की तिथि से 180 दिनों बाद तक का होना अनिवार्य है।
8. निविदादाता को अपना दर अंकों एवं अक्षरों में निर्धारित स्थान पर दर्ज करना होगा। गैर अनुसूचित मदों की दरें दशमलव के दो अंकों तक ही अंकित की जाय, अन्यथा दरें अमान्य होगी। भिन्नता की स्थिति में अक्षरों में अंकित दर मान्य होगी। परिमाण विपत्र की राशि से दस प्रतिशत से अधिक कम निविदित राशि अमान्य होगी।
9. सशर्त निविदा अमान्य होगी। निविदा डालने के पूर्व स्थल निरिक्षण कर निर्माण हेतु संसाधनों की उपलब्धता तथा कार्य परिस्थितियों का आकलन कर लें। बाद में इस आधार पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
10. झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार व्यवहृत लघु खनिजों के कय से संबंधित जिला खनन कार्यालय द्वारा निर्गत चालान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नियमावली के प्रावधानानुसार भुगतान किया जायेगा। जिला खनन कार्यालय द्वारा सत्यापन में गलत पाए जाने पर संवेदक विहित दंड के पात्र होंगे।
11. संवेदकों को झारखंड राज्य में लागू न्यूनतम मजदूरी दर पर भुगतान करना अनिवार्य होगा तथा तत्समय प्रभावी श्रम कानूनों का अनुपालन करना होगा।
12. संवेदकों को निर्माण सामग्रीयों की तथा यथावश्यक अन्य गुणवत्ता जाँच सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त संस्थानों से कराकर जाँच प्रतिवेदन देना होगा।
13. निविदा के साथ संवेदकों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उन्हें न तो काली सूची में डाला गया है न ही डिबार किया गया है और न ही किसी कार्यालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में स्थानीयता/वरीयता के आधार पर कार्यावंटन किया गया है।
14. कार्यावंटन के उपरान्त निदेशित किये जाने के एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा कर लेना होगा अन्यथा कार्यावंटन रद्द कर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।
15. आवंटन के अभाव में भुगतान लंबित रहने से संबंधित कोई दावा मान्य नहीं होगा।
16. उपयोंग में लाये गए सीमेंट के खाली बैंगो की कीमत की नियमानुसार कटौती विपत्र से की जाएगी।
17. प्राक्कलन, नक्शा, निरूपण एवं अन्य विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से संपर्क करें तथा सूचना पट्ट पर देखें।
18. परिमाण विपत्र बिकी की तिथि या निविदा प्राप्ति की तिथि को किसी कारणवश अवकाश घोषित हो जाने पर उक्त कार्य अगले कार्य दिवस को होंगे।
19. बिना कारण बतायें निविदा को स्थगित/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।

28/09/2019

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, गोड्डा।

Scanned by CamScanner